राजेन्द्र सिंह (मृत्तक) जरिये विधिक वारिसान एवं अन्य

बनाम

प्रेम माई एवं अन्य

23 अगस्त, 2007

(ए.के. माथुर एवं मार्कण्डेय काटजू, न्यायमूर्तिगण)

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908:

धारा 144-प्रत्यास्थापना के लिये आवेदन-घोषणा और कब्जे के लिये प्रस्तुत मुकदमा अन्त में प्रतिवादी के पक्ष में प्रत्यास्थापित के रूप में निर्णीत हुआ है- हालांकि वाद के लंबनकाल के दौरान वादग्रस्त जायदाद वादी ने एक महाविद्यालय न्यास (कॉलेज ट्रस्ट) को भूमि उपहार में दी और न्यायालय के निर्देश पर आदेशित व्यक्ति ने उस पर कब्जा कर लिया-प्रतिवादी द्वारा दायर प्रत्यास्थापन के आवेदन को नीचे की अदालतों द्वारा खारिज कर दिया गया। इस बीच प्रतिवादी एक विक्रय इकरार प्रतिवादी संख्या-2 के साथ करता है जिसकी पालना नहीं की गई। प्रतिवादी संख्या-2 के विधिक वारिसान की ओर से दावा किया गया। अपीलार्थी ने भी वाद पेश किया, अंतरिम यथास्थिति का आदेश पारित हुआ-तय पाया कि उच्च न्यायालय ने प्रत्यास्थापना आवेदन को कायम रहने योग्य नहीं

माना व अपास्त किया। सामान्यतः प्रतिवादी/अपीलार्थी कब्जा पाने का हकदार होता किंतु अंतरिम यथास्थिति के आदेश के कारण विवादित भूमि का कब्जा उक्त कार्यवाही में उक्त आदेश के तहत/अधीन रहा।

न्याय का प्रशासन - मामलों का शीघ्र निस्तारण - मामलों के शीघ्र निपटारे के लिये प्रयास किये जावे- इस आशय से निपटाने में हुई देरी पर नाराजगी व्यक्त की गई तथा शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने बाबत कहा गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार- सिविल अपील संख्या 1307/2001

हकरसी द्वितीय अपील संख्या 870/1976 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय एवं आदेश दिनांक 6.9.1999 से।

उमादत्ता अपीलार्थी की ओर से।

निखिल नायर प्रत्यर्थी की ओर से।

आदेश

1 विशेष अनुमति याचिका द्वारा यह अपील राजेन्द्र सिंह द्वारा दायर की गई जिनका निधन हो गया। उनके विधिक वारिसान को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 16 सितम्बर, 1999 को निष्पादन की दूसरी अपील संख्या 870 सन् 1976 में पारित निर्णय व आदेश के अनुसार

अभिलेख पर लाया गया जिसके तहत प्रतिवादी/अपीलार्थी द्वारा दायर दूसरी अपील खारिज की गई।

2 इस अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि श्रीमती प्रेम माई और सुधा माई ने विचारण न्यायालय में मुकदमा विवादित भूमि की घोषणा और कब्जे के लिये दायर किया जो प्रकरण संख्या 487/57 है। उक्त वाद अपीलार्थी के विरूद्व 21.9.63 को डिक्री किया गया। उस डिक्री के विरूद्व पीडित अपीलार्थी/प्रतिवादी ने एक अपील पेश की जिसे दिनांक 16.4.64 को स्वीकार किया और विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को प्रथम अपील न्यायालय द्वारा उलट दिया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय का मत था कि उत्तरप्रदेश जमीदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1951 के प्रभाव में आने के पहले से ही विवादग्रस्त भूमि पर भूमि के कृषि कर्मकार का कब्जा था। उत्तरप्रदेश काश्तकारी अधिनियम की धारा 180 के तहत दावा मियाद बाहर था इसलिये प्रतिवादी एक मुखिया (सिरदार) था।

3 इससे व्यथित प्रत्यर्थी ने उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की जो दिनांक 10.2.1971 को अस्वीकार कर प्रथम अपील न्यायालय के निर्णय को पुष्ट किया गया। यह तथ्य भी प्रकट हुआ कि लंबित वाद के दौरान विचारण न्यायालय द्वारा रिसीवर (पितांबर सिंह) को नियुक्त कर वादग्रस्त भूमि का कब्जा दिया गया। इसके साथ ही प्रेम माई एवं सुधा

माई ने विवादग्रस्त भूमि डी. ए. वी. कॉलेज न्यास को उपहार में देना प्रकट किया। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा वाद खारिज होने और उसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा होने पर भूमि की प्रत्यास्थापना का प्रश्न पैदा हुआ कि विवादित भूमि प्रतिवादी/अपीलार्थी को धारा 144 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत दी जावे। यधपि 13.8.1975 को प्रत्यास्थापना का आवेदन खारिज किया। तत्पश्चात् यह मामला प्रथम अपील न्यायालय में गया जहां से दिनांक 2.4.1976 को खारिज हुआ। तत्पश्चात् उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील पेश हुई जो दिनांक 6.9.99 को खारिज हुई।

सभी न्यायालयों द्वारा प्रत्यास्थापना कार्यवाही खारिज होने पर अपीलार्थी इस अपील को प्रस्तुत कर हमारे समक्ष आया।

4 विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया।

5 तथ्यों के अवलोकन से यह पाया कि अपीलार्थी के विरूद्व दावे को प्रथम अपील न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया तथा अपीलार्थी को प्रश्नगत भूमि का मुखिया (सिरदार) माना जिसे उच्च न्यायालय द्वारा द्वितीय अपील संख्या 215 सन् 1964 निर्णय दिनांक 10.2.71 से पुष्ट किया गया जो आदेश अंतिम हो गया। अतः सामान्य प्रक्रिया के तहत अपीलार्थी वादग्रस्त भूमि का कब्जा पाने का हकदार हो गया। हमारा मत है

कि जो दृष्टिकोण उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 6.9.99 में अपनाया वह विधि अनुरूप कायम रहने योग्य नहीं है।

6 यधपि यह कार्यवाही होने पर विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी के द्वारा यह बताया गया कि प्रतिवादी/अपीलार्थी ने वादग्रस्त भूमि का विक्रय इकरार प्रत्यर्थी क्रम-2 के साथ किया है। इसी आशय का आवेदन प्रत्यर्थी क्रम-2 ने भी दिया। विक्रय इकरार पर कार्यवाही के पहले प्रत्यर्थी क्रम-2 ने एक सिविल वाद संख्या 242 सन् 2002 सिविल न्यायाधीश, देहरादून के समक्ष पेश कर करार की पालना करानी चाही। इसके साथ ही अपीलार्थी के विधिक प्रतिनिधिगण ने भी एक वाद प्रत्यर्थी क्रम-2 के विरूद्व पेश किया इस पर विचारण न्यायालय ने अंतरिम यथास्थिति का आदेश अप्रेल, 2002 में पारित किया। हालांकि हमारे समक्ष मामले की यह विषयवस्तु नहीं है। हम इस बिंदु पर कोई मत नहीं देना चाहते। जहां तक प्रस्तुत प्रकरण का संबंध है हमारा यह मत है कि राजेन्द्र सिंह (मृतक) और उसके विधिक उत्तराधिकारीगण दिनांक 10.2.71 तक विवादित भूमि के कब्जे के हकदार थे इस कारण इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 6.9.99 कायम रहने योग्य नहीं है। परिणामस्वरूप वह अपास्त किया जाता है-हालांकि प्रकरण संख्या 242 सन् 2002 विक्रय इकरार की पालना का दावा लंबित है जिसमे यथास्थिति का आदेश है, के बारे में कोई मत/राय नहीं देते है।

7 जहां तक इस कार्यवाही का प्रश्न है अपील स्वीकार कर उच्च न्यायालय के अपीलाधीन आदेश/निर्णय को अपास्त करते है। सामान्यतः अपीलार्थी विवादित भूमि का कब्जा पाने का हकदार होता किंतु अंतरिम यथास्थिति का आदेश वाद संख्या 242 सन् 2002 में था। हम मानते है कि विवादित भूमि का कब्जा आदेश के अधीन था।

8 अपील स्वीकार की गई। खर्चे बाबत कोई आदेश नहीं।

9 इस प्रकरण से अलग होकर हम अपनी पीडा व्यक्त करना चाहेंगे। हमने विधिक न्यायालयों द्वारा प्रकरणों के निस्तारण में विलंब के कारण होने वाली यंत्रणा को देखा है। यह मामला एक जटिल उदाहरण है जिसमें वर्ष 1957 में दायर मुकदमा आधी सदी तक चला। यह ध्यान देने योग्य है कि एक मामला जारंडीस बनाम जारंडीस इन चार्ल्स डिकेन्स नोवेल ''उजडे घर'' जो दशकों तक पक्षकारान के साथ अधिवक्तागण को हाजरी लगवाता है।

10 हम डिकेन्स अंकित एक पैरा ''ब्लीक हाउस'' के अंश एवं उसकी बेजोड शैली को अंकित करते है ''जारंडीस एवं जारंडीस पराश्रित है और मुकदमें के विचारण के दौरान पैदा होने वाली कठिनाइयों से चौकन्ने कौवे की तरह सामना करता है लेकिन पैदा होने वाली कठिनाइयों को वह नहीं जानता। पक्षकारान कठिनाई को समझते है लेकिन कोई भी अधिवक्ता उनसे इस बारे में बात नहीं करते। न्यायालय परिसर में विवाद पर

असहमति में असंख्य बच्चों का जन्म हुआ, असंख्य युवाओं ने इसमें शादी की और अनगिनत वृद्वों की मौत हुई और विक्षिप्त की तरह पाते हुए अपने को जारंडीस और जारंडीस पाया। जिस तरह से पौराणिक कथाओं के समान विरासत में हमे कहानियां मिली उसी तरह की विरासत में कहानी दे दी गई। मुकदमे के दौरान चट्टान की तरह अडे हुए घोडे की तरह प्रकरण में पैरवी की लेकिन अंत में एक रंगहीन नक्शा हमारे सामने प्रस्तुत हुआ। मुकदमों के बिलों को मृत्युदर के बिलों में बदल दिया गया तथा अवसाद में टॉम जारंडीस ने एक कॉफी हाउस में अपना दिमाग उडा दिया तथा उसे शाश्वत रूप से निराशा प्राप्त हुई।"

यह भारत की वास्तविक स्थिति आज है ?

11 भारत के लोग इस स्थिति से नाराज है। मामले के निपटारे में होने वाले विलंब के कारण आमजन न्यायपालिका से विश्वास खो रहे है। इस बाबत संबंधित अधिकारियों से अनुरोध है कि वे आवश्यक कार्यवाही करे और शीघ्र निस्तारण के लिये सारे प्रयास करे जिससे आमजन का विश्वास न्यायालयों के प्रति बना रहे।

अपील स्वीकार।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी शिव कुमार शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।